

पटनाकला बांध से बन रही कैनाल में अनियमितता उजागर

खेतों की ऊंचाई नहर से ज्यादा होने पर पानी खेतों तक नहीं पहुंच रहा, योजना का कोई व्यावहारिक लाभ किसानों को नहीं

नवभारत न्यूज
पन्ना 28 अगस्त। जिले के जनपद पंचायत पवई अन्तर्गत आने वाले पटनाकला बांध से जल संसाधन विभाग द्वारा कराए जा रहे कैनाल निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। निर्माण कार्य विभागीय इंजीनियरों की निगरानी में होने के बावजूद, ठेकेदार फर्म को मनमानी करने की पूरी छूट मिल गई है। स्थानीय किसानों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि नहर निर्माण में कहीं भी तकनीकी मानकों और योजना का पालन नहीं किया जा रहा।

पटनाकला, करिया क्षेत्र के

कई किसानों ने बताया कि क्षेत्र में बन रही कैनाल मात्र औपचारिकता बनकर रह गई है। केवल तीन फीट गहरी नालियां खोदकर काम पूरा बताया जा रहा है। न तो स्लोप का ध्यान रखा गया है। और न ही इस बात की योजना बनाई गई कि पानी खेतों तक कैसे पहुंचेगा। किसानों का कहना है कि कई जगहों पर खेतों की ऊंचाई नहर से ज्यादा है, ऐसे में पानी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। इसके चलते इस योजना का कोई व्यावहारिक लाभ किसानों को नहीं मिलने वाला। निर्माण कार्य की एक और बड़ी खामी सड़क किनारे बनाए गए सीसी स्लैब को लेकर सामने आई है। किसान खड़ाई लोधी, हजारी लोधी, ध्रुव सिंह, अनिरुद्ध लोधी, सारार लोधी

आदि का कहना है कि ठेकेदार द्वारा सड़क के दोनों ओर सीसी

स्लैब तो बना दिए गए, लेकिन उनकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि

जितना बजट उतना काम करावा रहे इंजीनियर

जब इस विषय में जल संसाधन विभाग के इंजीनियर सुनील पटेल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, जितना बजट है उसी अनुसार कार्य हो रहा है। जहां जितनी सीसी बनी थी, उतनी ही बनाई जा रही है। किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इंजीनियर का यह बयान साफ़ीतर पर यह संकेत दे रहा है कि ठेकेदार को पूरी छूट मिली हुई है और विभाग की ओर से कार्य की गंभीरता से निगरानी नहीं की जा रही जानकारी के अनुसार, यह निर्माण कार्य रीवा निवासी ठेकेदार रामनारायण मिश्रा को सौंपा गया है। आरोप है कि विभागीय सांठगांठ के चलते ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से कार्य कराया जा रहा है। स्थानीय किसान लंबे समय से इस निर्माण कार्य की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर और एसडीओ उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। यदि शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो इससे किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। पटनाकला नहर निर्माण में सामने आई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।

उस पर पर रखने मात्र से ही स्लैब टूट रहे हैं। पहली ही बारिश में यह पूरा स्लैब बह जायेगा। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस घटिया निर्माण की जब उन्होंने ठेकेदार से शिकायत की तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और कार्य पूर्ववत् जारी रहा।

वहीं, कैनाल के जरूरी मोड़ों पर सीसी निर्माण नहीं किया गया, जबकि सड़क को पार करने वाली एक गैरजरूरी पुलिया के पास

करीब 50-50 मीटर लंबी सीसी बना दी गई, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं दिखती। किसानों का कहना है कि जिस तरह से यह कैनाल बनाई जा रही है, उससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। उल्टा, कई खेतों में जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है। बिना योजना, बिना गुणवत्ता और बिना जवाबदेही के इस तरह का निर्माण कार्य सिर्फ सरकारी धन की बर्बादी है और किसानों के साथ धोखा है।

इनका कहना है

पटनाकला डेम की नहर का काम व्यवस्थित ढंग से स्टीमेट के अनुसार ही कार्य कराया जा रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

टीआर पटेल
एसडीओ जल संसाधन विभाग पन्ना।

मां तुझे प्रणाम योजनान्तर्गत होगा दस-दस युवाओं का चयन

नवभारत न्यूज
पन्ना 28 अगस्त। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा मां तुझे प्रणाम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रवाद की भावना से ओत प्रोत इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रति आदर का भाव विकसित करना, सीमा में सैन्य गतिविधियों तथा दिनचर्या से अवगत कराना इत्यादि है।

योजना में यात्रा के माध्यम से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक स्थानों से परिचय कराने का अनुभव प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए विकासखंड स्तर पर दस-दस युवाओं का चयन होगा, जिसके तहत 5 युवक एवं 5 युवतियों का चयन किया

जाएगा। 31 दिसम्बर 2026 की तिथि में 15 से 25 वर्ष आयु के युवा मां तुझे प्रणाम योजना के तहत अनुभव यात्रा के लिए पात्र हैं। चयन प्रक्रिया के तहत पनसीसी, एनएसएस, खिलाड़ी, मेधावी छात्र एवं स्काउट की श्रेणी से एक-एक युवक एवं युवती का चयन किया जाएगा। इस अनुभव यात्रा के चयन के लिए युवाओं को निर्धारित प्रश्न पर आवेदन के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट, जोखिम तथा संबंधित थाने से चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। चयनित युवाओं को मात्र एक बार ही अनुभव यात्रा में भेजा जाएगा। असहमति प्रदान करने पर आगामी यात्रा में चयन नहीं किया जाएगा। युवाओं के चयन के लिए विकासखंड स्तर पर गत 25 अगस्त से आवेदन आमंत्रित करने

की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इच्छुकजन आगामी 4 सितम्बर तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट पर भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पूर्व में अनुभव यात्रा पर भेजे गए युवाओं का चयन नहीं होगा।

जिला स्तर पर 8 से 12 सितम्बर तक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लॉटरी के जरिए युवाओं का चयन किया जाएगा। चयन में वरीयता का आधार भी निर्धारित है। सर्वप्रथम पनसीसी श्रेणी के आवेदक का चयन होगा। इसके उपरांत क्रमशः खेल, स्काउट, एनएसएस और मेधावी छात्र श्रेणी के मापदंड अनुसार मां तुझे प्रणाम योजना में युवा चयनित किए जाएंगे।

पवई विधायक, सीसीएफ एवं जिला अधिकारियों ने मोहनद्रा में किया विकसित गौवंश वाटिका का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

पन्ना 28 अगस्त। दक्षिण पन्ना वन विभाग ने आज सुप्रिथ गौशाला मोहनद्रा में पौधारोपण, संकलन विमोचन और खेलकूद सामग्री वितरण का संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया।

कार्यक्रम में मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पवई विधायक प्रहलाद लोधी, छतरपुर वृत्त वन संरक्षक नरेश सिंह यादव, पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार, पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण थोटा, दक्षिण पन्ना वनमण्डलाधिकारी अनुपम शर्मा, प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी एवं प्रभारी उपवनमण्डल अधिकारी अक्षय जैन, एसडीएम सुश्री समीक्षा जैन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती भावना दांगी, सरपंच एवं मंडल अध्यक्ष



अरुण चौरसिया और आईटीआई प्राचार्य रोहित श्रीवास सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, ग्रामीण, विद्यार्थी, मीडिया प्रतिनिधि और वनमण्डल अधिकारी उपस्थित रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अतिथियों ने गौवंश वाटिका की शुरुआत की। इस

अवसर पर त्रिवेणी पौधे (नीम, पीपल, बरगद), आवला, कदम्ब, गुलमोहर और गुलर जैसे पौधे रोपित किए गए। पौधारोपण से पूर्व पौधों और गौवंश की पूजा-अर्चना की गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय को मां के समान पूजनीय माना जाता है और इसी भावना के अनुरूप यह वाटिका

गौवंश को समर्पित की गई। वन विभाग ने पौधों की सुरक्षा के लिए ट्रीगाई लगाए हैं और देखभाल हेतु गौशाला समिति तथा ग्रामीणों से सहयोग का आवाह किया। विभाग ने बताया कि अपेक्षित सहयोग मिलने पर वाटिका का विस्तार किया जाएगा और विस्तार वानिकी योजना अंतर्गत पेव

व्हाक्स जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। इसके उपरांत, कार्यक्रम में वनरक्षक वीरेंद्र पटेल द्वारा संकलित फेटी-पुस्तक कल्दा क्षेत्र के पक्षी का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के अंत में, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 से पूर्व, आईटीआई कॉलेज मोहनद्रा के छात्र-छात्राओं को बैडमिंटन किट (कैकेट और शटल) प्रदान की गई। ये किट काष्ठ लाभांश से खरीदी गई थीं। पूरे कार्यक्रम का आयोजन मोहनद्रा परिश्रम अधिकारी अभय दूबे और उनकी टीम ने किया। सभी अतिथियों ने उनके प्रयासों की सराहना की। पवई परिक्षेत्र अधिकारी निदेश पटेल ने भी आवश्यक सहयोग किया और मंच संचालन की जिम्मेदारी निभाई।

छत्रसाल महाविद्यालय में निःशुल्क ब्यूटीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

नवभारत न्यूज

पन्ना 28 अगस्त। कार्यालय निदेशक, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश के तत्वावधान में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना में 30 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ बड़े ही गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का प्रावधान मां विधा वानिनी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि आज के समय में कौशल विकास ही



आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सच्ची कुंजी है। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्राओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाते हैं, बल्कि उनके लिए स्वरोजगार और रोजगार के नए द्वार भी खोलते हैं। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. बी. एन. जायसवाल ने विषय प्रवर्तन में योजना की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना का ध्येय केवल अकादमिक शिक्षा तक सीमित न

रहकर छात्र-छात्राओं को कौशल-आधारित और रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ना है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. भारती खेर ने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक युग में आत्मनिर्भरता तभी संभव है जब युवा वर्ग मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ अपने कौशल को निखारे।

विशिष्ट अतिथि एडवोकेट सुश्री सृष्टि त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि

शिक्षा का वास्तविक स्वरूप तभी सार्थक होता है जब वह पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहकर व्यवहारिक जीवन के कौशल से जुड़ता है। प्रशिक्षणदाता श्रीमती उपासना शर्मा (संचालक, कृष्णा ब्यूटी पार्लर) ने कहा कि सौंदर्यशास्त्र केवल एक कला ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने और आजीविका का साधन बनने का सशक्त माध्यम भी है। उद्घाटन दिवस पर उन्होंने श्रेडिंग संबंधी

जानकारी दी तथा छात्राओं को श्रेड रनिंग का अभ्यास भी कराया। कार्यक्रम का संचालन प्रभावशाली ढंग से डॉ. बी. एन. जायसवाल द्वारा किया गया और आभार प्रदर्शन डॉ. पिपूषा शर्मा ने किया।

प्रशिक्षण के लिए 70 छात्राओं ने पंजीयन कराया और पूरे उत्साह के साथ सहभागिता की। इस उद्घाटन सत्र में सह-संयोजक डॉ. सतीश त्रिपाठी, डॉ. पिपूषा शर्मा, डॉ. पुष्पराज चौरसिया, डॉ. पूनम तिवारी, डॉ. रोशनी गुप्ता, डॉ. प्रदीप रावत एवं रिसर्च स्कॉलर शालिनी दहायत के साथ बड़ी मात्रा में छात्राएं सम्मिलित रहे। अंत में राष्ट्रगान के साथ इस गरिमामय उद्घाटन समारोह का समापन हुआ।

मच्छर मार रहे डंक, हर साल 100 से 150 डेङू केस, फिर भी लापरवाही

नवभारत न्यूज

पन्ना 28 अगस्त। शहर में मच्छरों का बढ़ता आतंक लोगों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। हर साल 100 से 150 के बीच डेङू के मामले सामने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन जाग रहा है और न ही जिला मलेरिया विभाग। बीते वर्ष डेङू के 100 मामले सामने आए थे, जिनमें चार से पांच लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके बावजूद इस बार भी रोकथाम को लेकर कोई ठोस तैयारी नहीं की गई है। नगर पालिका की फॉर्निंग मशीन कुछ दिन चलकर फिर गायब हो चुकी है। वहीं मलेरिया विभाग अपनी जिम्मेदारी नगर पालिका पर डालकर मौन साधे बैठा है। इस लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगताना पड़ रहा है। मोहल्लों में शाम ढलते ही

मच्छरों की भरमार हो जाती है, जिससे घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग मच्छरदानी के बिना सो भी नहीं पा रहे।

सर्वे के नाम पर खानापूतः- ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया विभाग और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका को रोकथाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन नगर पालिका को ओर से न तो घर-घर जाकर सर्वे किया गया और न ही मच्छरजनित स्थलों की पहचान कर वहां कोई कार्रवाई की गई है। डेङू की

रोकथाम के नाम पर केवल कागजी खानापूत की जा रही है।

हर साल सैकड़ों मामलों- वर्ष 2021 में 150, 2022 में 60 2023 में 131 और 2024 में 93 डेङू के मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि डेङू का खतरा हर साल मौजूद रहता है, बावजूद इसके प्रशासनिक गंभीरता का अभाव बना हुआ है। यदि समय रहते रोकथाम के उपाय नहीं किए गए तो इस बार भी डेङू का कहर जानलेवा साबित हो सकता है।

मौत के बाद जागता है प्रशासन

शहर में जब डेङू से मौत की खबरें सामने आती हैं और मामला मीडिया की सुर्खियां बनाते हैं, तब कहीं जाकर नगर पालिका प्रशासन की नींद खुलती है। मुतकों के घर और आस-पास कीटनाशक का छिड़काव कराया जाता है, जबकि इस बीमारी की रोकथाम के लिए समय रहते नियमित छिड़काव और साफ-सफाई जरूरी है।

सुयश अग्रवाल को मातृशोक

नवभारत न्यूज

पन्ना 28 अगस्त। किशोरगंज निवासी प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार के सुयश अग्रवाल की माता श्री श्रीमती राधा अग्रवाल का विगत दिवस जबलपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई।

उन्हें गंभीर हालत में जबलपुर ले जाया गया था जहां हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया था

वे वंशीधर अग्रवाल एंड कम्पनी के संचालक आरएसएस के संजय अग्रवाल उर्फ भन्ना की चाची थीं।

श्रीमती राधा अपने पीछे भरा पूरा रोता बिलखता परिवार छोड़ गई हैं। सूचना मिलते ही

लोगों का उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का ताता लगा हुआ है।

गुनौर विधायक ने निःशुल्क साइकिल का किया वितरण

नवभारत न्यूज

पन्ना 28 अगस्त। गुनौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. राजेश वर्मा ने आज अमानगंज अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला गड़ोखर, शासकीय उ.पा. विद्यालय कमताना, शासकीय हाईस्कूल सिरी एवं शासकीय हाईस्कूल रामपुर में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया।

कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं।



इस अवसर पर विधायक डॉ. वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेटियों

को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम उठाए हैं। पढ़ाई जारी रखने के लिए

निःशुल्क साइकिल सहित लैपटॉप, स्कूटी, पुस्तकें और ड्रेस भी प्रदान की जा रही है। विधायक ने कहा कि अब बेटियों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में बेटियां हर क्षेत्र में बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और बेहतर शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार, क्षेत्र और प्रदेश का भी नाम रोशन कर रही हैं। विधायक ने कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं से संवाद कर भविष्य की कार्ययोजना भी जानी।

आंगनबाड़ी सहायिका की अनंतिम चयन सूची जारी

नवभारत न्यूज

पन्ना 28 अगस्त। महिला एवं बाल विकास परि योजना कार्यालय पवई द्वारा विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त सहायिका के 17 पद पर चयन के लिए सहायिका की अनंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है।

इस क्रम में आंगनबाड़ी केन्द्र जनपुरा में नीतू सिंह गौड़, मारदा में पंकी बाई गौड़, रक्सेहा में सीमा राजा, गढ़ीकरहिया ए में साक्षी पटेल, गढ़ीकरहिया बी में सुष्मा पटेल, सिमराकला में रोशनी तिवारी, भोईपुरा में कुसुम अहिरवार, झाड़ में विद्या गडारी, धौराखुर्द में राधा पटेल, बनवार

में सीतादेवी जायसवाल, कटरहिया में गनेश बाई, नरगी में रामलली सिंगरोल, मुराछ में नेहा पटेल, विपरियादीन में दुर्गा दाहिया, खबरी मिनी में चम्पा बाई, अनुआ में सिलोचना प्रजापति तथा आंगनबाड़ी केन्द्र ककरी कछार में सहायिका पद पर सीमा सिंह का अनंतिम रूप से चयन किया गया है। अनंतिम चयन सूची एमपी ऑनलाइन के चयन पोर्टल पर उपलब्ध है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति पोर्टल पर आगामी 31 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। कार्यालय में लिखित दावे-आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिला स्तरीय बालक-बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित

लगभग 300 खिलाड़ी छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की

नवभारत न्यूज

पन्ना 28 अगस्त। जिला स्तरीय वार्षिक खेल कैलेंडर अनुसार गत दिवस को जिला स्तरीय कबड्डी 14,17,19 वर्ष बालक/बालिका वर्ग की प्रतियोगिता शासकीय उच्च उमावि पन्ना में आयोजित की है। जिसमें पन्ना जिला के समस्त विकासखंडों से आए लगभग 300 खिलाड़ी छात्र/छात्राओं ने सहभागिता की।

खिलाड़ियों ने अपने रोचक खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए संभार स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपनी दवेदारी पकड़ी की। जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की



संयोजक शासकीय उच्च उ मा वि पन्ना की प्राचार्य श्रीमती रंजना खरे रही। जिनके सहयोग से पूरी प्रतियोगिता निर्विघ्न सम्पन्न हुई। असमस्त जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता जिला शिक्षा अधिकारी रवि प्रकाश खरे के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित हो

रही है। खेले इंडिया.....खेलो एम पी.....खेलो पन्ना....की तर्ज पर पन्ना में लगातार खेलो का आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता जिला के समस्त विकासखंडों के कुशल खेल प्रशिक्षक/पीटीआर/खेल शिक्षकों के सहयोग से संपन्न हुई।

बलात्संग के आरोपीगणों को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना

नवभारत न्यूज

पन्ना 28 अगस्त। सहा.जि.लोक अभि.अधि. त्रिभुक्तान द्विवेदी ने बताया कि, अभियोक्त्री ने थाना कोतवाली पन्ना में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह बी.एस.सी. तृतीय वर्ष की छात्रा थी। वह आरोपी घनश्याम रजक के आँटो से कॉलेज आया-जाया करती थी। कुछ दिन बाद उक्त आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और मोबाइल नंबर लेने के बाद वह फोन करके व उसके सामने आने पर उससे प्यार करने की बातें करने लगा। अभियोक्त्री ने मना कर दिया, तब भी वह किसी न किसी तरीके

से उसके नजदीक आने की कोशिश करता था। इसके पश्चात उक्त आरोपी ने अभियोक्त्री का मोबाइल नंबर अपने दोस्त आरोपी मान अली एवं नाबालिग को दे दिया। इसके पश्चात उक्त दोनों के फोन अभियोक्त्री के पास आने लगे।

अभियोक्त्री के द्वारा मना करने के बावजूद उसे आँटो में बैठाकर पास के जंगल में ले गए। जंगल में आरोपी मनु उर्फ मान अली एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने उसके साथ जबरन गलत काम किया। दिनांक 28 सितंबर 2022 को शाम के करीब 5:00 बजे अभियोक्त्री के पास मनु उर्फ मान अली का फोन आया कि आ

जाओ फिर कहीं घूमने चलेंगे। उसके न मानने पर कुछ देर बाद आरोपी घनश्याम रजक का फोन आया और उसने अभियोक्त्री को चलने के लिए बुलाया। उसके मना करने पर फोन पर आवाज आयी कि दोपहर में उसके साथ जो घटना की गयी है, उसका उन लोगों में वीडियो बना लिया है और यदि वह उनकी बात नहीं मानी तो वे वीडियो वायरल कर देंगे। बदनामी के डर से दोनों के साथ मोटर साइकिल में बैठकर चली गयी। वे उसे करीब 01 किमी. दूर जंगल में ले गए। आरोपी घनश्याम ने उसके साथ बुरा काम किया। इसके बाद आरोपीगण उसे छोड़कर चले गये। अभियोक्त्री

द्वारा उक्त घटना के बारे में अपने परिचय के लोगों को बताया। तत्पश्चात उसने आरक्षी केन्द्र कोतवाली पन्ना में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोक्त्री के उक्त लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण घनश्याम रजक, मनु उर्फ मान अली एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र कोतवाली पन्ना में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

साक्षीगणों के कथन लेखबद्ध किये गये, घटनास्थल का नक्शासामोका तैयार किया गया। न्यायालय सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय में प्रकरण का विचारण

हुआ। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोक्ता सुनील द्विवेदी द्वारा की गयी। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी मान अली उर्फमानु अली को धारा 376डी भादसं. में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50000/- रूपए का अर्थदण्ड, धारा 66ई आई.टी. एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50000/- रूपए का अर्थदण्ड एवं आरोपी घनश्याम रजक उर्फ छोटू रजक को धारा 376(1) भादसं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000/- रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।